COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(173)

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल कैम्प रीवा म0प्र0

निगरानी 2222-II-15

त्रिभुवन प्रसाद तनय रामगरीब निवासी ग्राम बंकिया तिवारियान तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ——आवेदक

बनाम

1— विश्राम हरिजन पिता स्व0 रामगरीब हरिजन पेशा मजदूरी निवासी ग्राम बकिया तिवारियान तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

2— रामगरीब ब्राम्हण पिता तुलाराम ब्राम्हण उम्र वर्ष निवासी ग्राम बकिया तिवारियान तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदक गण

निगरानी विरूद्व आदेश अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलांन जिला सतना का आदेश दिनांक 25—04—15 प्रकरण क0 15 अपील / 14—15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 1959 ई0

द्वारा प्रस्तुत किया गया। 19.6.15
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5864
रजिस्टर्ड ... आज
दिनांक ... को प्राप्त
राजस्व ... ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :—

1— यह कि आवेदक के पक्ष में राजस्व प्रकरण कमांक 127 अ6 / 10—11 में पारित आदेश दिनांक 20—12—11 को हुए नामान्तरण आदेश के विरूद्व अनावेदक क0 1 ने अपील अनुविभागीय अधिकारी तह0 रामपुर बाघेलान के यहा प्रस्तुत किया और साथ में ही धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया जिसके प्रचलन शिलता पर आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किंया किन्तु आवेदक के आवेदन पत्र पर विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 25—04—15 अलोच्य आदेश पारित किया जिससे परिवेदित होकर निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

(173)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2223-दो/15 जिला सतना

त्रिभुवन प्रताप विरूद्ध वि ग्राम शासन

1	2	3
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री सूर्यनाथ पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 25-4-15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

की जा रही है।